नम्बर
अहकाम
किस तामील

न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारी: डॉ.रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –86 / 2016 (आवन्टन निरस्तीकरण)
GCMS No. 2016 / 00200

सरकार जर्ये तहसीलदार रामगंजमण्डी जिला कोटा
––प्रार्थी.

बनाम

बिरधीबाई पत्नि जगन्नाथ जाति मेहर निवासी रीछडिया तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
––अप्रार्थी.

न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 1970 के नियम 14(4) राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन

उपस्थितः–

1. पेरोकार सरकार
2. श्री रामबाबू मालव, अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

दिनांकः– 06 / 05 / 2024

1. प्रकरण के सम्बन्ध में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम छत्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 211 की रकबा 0.50 हे0 भूमि आवंटन सलाहकार समिति रामगंजमण्डी द्वारा अप्रार्थी को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि दिनांक 08.10.1998 को आवंटन की गई थी जो अप्रार्थी के नाम गैर खातेदारी से दर्ज है । पटवारी रिपोर्ट अनुसार आवंटित भूमि पर अप्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो की पालना नहीं की जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अप्रार्थी को किये गये उक्त आवंटन को आवंटन नियम 14(4) के तहत खारिज कराने हेतु प्रकरण इस न्यायालय में पेश किया है ।
2. प्रकरण पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी आवंटी की तलबी हेतु नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी की ओर से दिनांक 20.4.2017 को अभिभाषक श्री रामबाबू मालव का वकालतनामा पेश हुआ । वकील अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र का अब तक जवाब प्रस्तुत नहीं किया है, ओर ना ही गत पेशी दिनांक 19.3.2024 से उपस्थित हो रहे है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।
3. पेरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि आवंटी द्वारा आवंटित भूमि पर आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं की है तथा भूमि मौके पर पडत होने से अप्रार्थी द्वारा आवंटन शर्तो की अवहेलना की है जो खातेदारी की पात्रता नहीं रखने से अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त योग्य है । प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में किया गया आवंटन निरस्त फरमाया जावें ।

जिला कलेक्टर
कोटा

4. हमने पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया अप्रार्थीया को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम छत्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 211 की 0.50 हे0 भूमि दिनांक 27.11.2011 को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई थी । आवंटन पश्चात आवंटी अप्रार्थीया द्वारा आवंटन शर्तो की पालना में कब्जा काश्त नहीं कर आवंटन शर्तो का उल्लंघन किया है । अप्रार्थीया द्वारा बावजूद सूचना के जवाब प्रस्तुत नहीं करने से यह साबित हो रहा है कि अप्रार्थीया का उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा काश्त नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीया को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा ग्राम छत्रपुरा तहसील रामगंजमण्डी की खसरा नं0 211 की 0.50 हे0 भूमि का दिनांक 27.11.2011 को अप्रार्थीया के हक में किया गया कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन निरस्त किया जाना उचित पाते है ।
5. परिणामस्वरूप तहसीलदार रामगंजमण्डी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 का स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के हक में 27.11.2011 को ग्राम छत्रपुरा की भूमि खसरा नम्बर 211की रकबा 0.50 हे0 का कृषि प्रयोजनार्थ किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है । तहसीलदार रामगंजमण्डी को आदेश दिये जाते है कि आवंटित भूमि सिवायचक दर्ज करते हुए कब्जेराज लेवें ।
6. निर्णय आज दिनांक 06.5.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

कलक्टर कोटा

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा